(केवल सरकारी कार्य हेतु)

बिहार सरकार

कृषि विभाग

विषय वस्तु विशेषज्ञ

एवं

किसान सलाहकार

(मार्ग दर्शिका)

बिहार सरकार

कृषि विभाग

विषय वस्तु विशेषज्ञ एवं किसान सलाहकार

(मार्ग दर्शिका)

बिहार सरकार

<u>कृषि विभाग।</u>

पत्र संख्या– पी०पी०एम०–189/2010– 282   कृ0, पटना, दिनांक 17-01-2011

प्रेषक,

अशोक कुमार सिन्हा,

कृषि उत्पादन आयुक्त।

सेवा में,

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

उद्यान निदेशक, बिहार, पटना।

निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना।

अपर कृषि निदेशक, प्रसार, बिहार, पटना।

सभी संयुक्त कृषि निदेशक।

सभी जिला कृषि पदाधिकारी।

विषय : **विषय वस्तु विशेषज्ञ एवं किसान सलाहकार के दायित्वों के निर्धारण के संबंध में।**

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008–09 में कृषि विभागीय राज्यादेश सं० 75 दिनांक 06.01.2009 द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत विषय वस्तु विशेषज्ञ के नियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। राज्यादेश की विभिन्न कंडिकाओं में विषय वस्तु विशेषज्ञ के चयन हेतु मापदंडों एवं अन्य संबंधित निर्देशों का उल्लेख हुआ है। उक्त राज्यादेश की अनुसूची : 2 में विषय वस्तु विशेषज्ञ का दायित्व निर्धारित किया गया है।

इसी प्रकार वर्ष 2009–10 में कृषि विभागीय राज्यादेश संख्या 1304 दिनांक 08.03.10 द्वारा पंचायत स्तर पर किसान सलाहकार के चयन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। राज्यादेश की विभिन्न कंडिकाओं में विषय वस्त विशेषज्ञ के चयन हेतु मापदंडों एवं अन्य संबंधित निर्देशों का उल्लेख हुआ है। इस राज्यादेश की अनुसूची : 6 में किसान सलाहकार के दायित्व का उल्लेख हुआ है।

इस बीच विभिन्न जिलों में किसान सलाहकार एवं विषय वस्तु विशेषज्ञ का चयन हुआ है। विभाग के स्तर पर यह बात लाया गया है कि किसान सलाहकार/विषय वस्तु विशेषज्ञ को प्रखंड/पंचायत आवंटित करने, इनके दायित्वों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की आवश्यकता है ताकि विभाग द्वारा निर्धारित की गयी प्राथमिकताओं के अनुसार इनका उपयोग विभागीय योजनाओं के कार्यान्वयन में किया जा सके। पंचायत के नाम के अनुसार आरक्षण रोस्टर चलाकर किसान सलाहकार का चयन किया गया है एवं इन्हें अपने निवास के पंचायत के बाहर भी परामर्श के लिए कर्णांकित किया गया है। इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त विषय वस्तु विशेषज्ञ एवं किसान सलाहकार के दायित्वों के संबंध में मार्गदर्शिका संलग्न की जा रही है। मार्गदर्शिका के अनुसार कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

(अशोक कुमार सिन्हा)

कृषि उत्पादन आयुक्त।

ज्ञापांक : –282 /कृ0, पटना, दिनांक : 17–01–2011

प्रतिलिपिः– सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कृषि उत्पादन आयुक्त।

अनुक्रमाणिका

क्र0	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	उद्देश्य	01
2.	चयन	01
3.	कार्य क्षेत्र	1-2
4.	दायित्व	2-11
4.1	बीज योजना	2
i	मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना	2-4
ii	बीज ग्राम योजना	4-5
iii	प्रक्षेत्र में बीज उत्पादन	5
iv	अनुदानित दर पर प्रमाणित बीज उपलब्ध कराना	5
v	मिनी किट बीज वितरण	5
iv	सीड बीज	5
4.2	पौधा रोपन सामग्री (मुख्यमंत्री तीव्र बागवानी विकास योजना)	6
4.3	मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (मिट्टी जाँच एवं उर्वरक संबंधी कार्य)	6-7
4.4	कृषि यांत्रिकरण (ड्रीप एवं स्प्रंकलर सहित)	7-8
4.5	कृषि तकनीक का प्रचार–प्रसार	8-9
4.6	इन्टीग्रेटेड फार्मिंग	9
4.7	कृषि सांख्यिकी का संग्रहन	9-11
4.8	डायरी का संधारण	11
4.9	पर्यवेक्षण	11
5	प्रखड एवं न्यून स्तर पर कार्यरत कर्मी से समन्वय	11
6	मानदेय का भुगतान	11
7	अवकाश	12
8	बैठक	12
9	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	12
10	सामान्य उद्देश्य	13
11	नियोजन/चयन का निरस्तीकरण	13-14
12	अन्यान्य	14
13	मार्ग निर्देश में संशोधन	14
14	कृषि गणना का सर्वेक्षण संबंधी प्रपत्र	15
15	कृषि गणना का पूर्ण विवरण	15-22

विषय वस्तु विशेषज्ञ एवं किसान सलाहकार के दायित्वों के निर्धारण के संबंध में मार्ग दर्शिका

1. **उद्देश्य** :– राज्य में कृषि के सर्वांगीण विकास के लिए कृषि रोड मैप का कार्यान्वयन वर्ष 2008–09 से किया जा रहा है। कृषि रोड मैप कार्यक्रमों को किसानों तक पहुँचाने के लिए केन्द्र प्रायोजित/राज्य प्रयोजित योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। विभागीय योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए राज्य स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक कृषि प्रसार तंत्र की उपस्थिति है। विगत वर्षों में निचले स्तर पर प्रसार तंत्र में अत्यधिक रिक्ति के कारण विभागीय योजनाओं को किसानों तक पहुँचाने में कठिनाई महसूस किया जाता रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रखंड से न्यून स्तर यथा ग्राम/पंचायत स्तर पर कृषि प्रसार तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किसान सलाहकार/विषय वस्तु विशेषज्ञ के योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. **चयन** :– योजना से संबंधित राज्यादेश एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेश के अनुसार किसान सलाहकार/विषय वस्तु विशेषज्ञ का चयन किया जायेगा। चयन की प्रक्रिया में यथा विहित आरक्षण रोस्टर का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. **कार्य क्षेत्र** :– किसान सलाहकार पंचायत स्तर पर कार्य करेंगे। एक किसान सलाहकार एक ही पंचायत के लिए उत्तरदायी होंगे। अर्थात एक से अधिक पंचायत के लिए किसान सलाहकार को दायित्व नहीं दिया जा सकता है। किसान सलाहकार को अपने निवास का पंचायत आवंटित किया जायेगा। अगर एक ही पंचायत के एक से अधिक सलाहकार चुने गये हों तो वरीयता क्रम के हिसाब से वरीय को निवास का पंचायत आवंटित किया जायेगा एवं कनीय को निवास का समीपवर्त्ती पंचायत आवंटित किया जायेगा। जिला के बाहर से अगर किसान सलाहकार चुने गये हों तो उन्हें वही पंचायत आवंटित होगा जो जिलों के पंचायतों के निवासी को आवंटन के बाद रिक्त रह जायेगा। सामान्यतः किसान सलाहकार पंचायत की सामुदायिक भवन/पंचायत भवन/किसान भवन में बैठकर परामर्श संबंधी कार्य करेंगे। अगर सामुदायिक भवन/पंचायत भवन/किसान भवन उपलब्ध नहीं हो तो किसान सलाहकार अपने आवास को परामर्श केन्द्र की तरह से प्रयुक्त करेंगे एवं सार्वजनिक रूप से सूचना के लिए एक बोर्ड लगायेंगे। किसान सलाहकार स्वयं एक किसान हैं। अतः अपने द्वारा किये गये कृषि कार्यों के साथ–साथ प्रत्येक कार्य दिवस को कम से कम 4 घंटा, जो 10.00 बजे से शुरू होकर 2.00 बजे दिन तक रहेगा, अपने परामर्श स्थल पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होंगे। किसान सलाहकार को पंचायत आवंटन के लिए जिला कृषि पदाधिकारी सक्षम पदाधिकारी होंगे।

   सामान्यतः प्रत्येक दो पंचायत पर एक विषय वस्तु विशेषज्ञ होंगे। किसी भी जिले में वांछित संख्या में विषय वस्तु विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं हो तो समीप के पंचायत के विषय वस्तु विशेषज्ञ का दायित्व इन्हें दिया जा सकता है। विषय वस्तु विशेषज्ञ को अपने निवास के प्रखंड से अलग प्रखंड आवंटित किया जायेगा। किसी भी विषय वस्तु विशेषज्ञ को गृह प्रखंड आवंटित नहीं किया जायेगा अथवा गृह प्रखंड का प्रभार नहीं दिया जायेगा। विषय वस्तु विशेषज्ञ के लिए दो पंचायत में से एक पंचायत के मुख्यालय को विषय वस्तु विशेषज्ञ का मुख्यालय घोषित किया जायेगा। विषय वस्तु विशेषज्ञ के मुख्यालय पंचायत की घोषणा जिला कृषि पदाधिकारी करेंगे। विषय वस्तु विशेषज्ञ को अपने क्षेत्राधिकार में किस दिन किस पंचायत में रहना है, इसकी घोषणा जिला कृषि पदाधिकारी करेंगे। मुख्यालय के लिए सामान्यतः ये पंचायत की सामुदायिक भवन/पंचायत भवन/किसान भवन में बैठकर काम करेंगे। अगर सामुदायिक भवन/पंचायत भवन/किसान भवन उपलब्ध नहीं हो तो विषय वस्तु

विशेषज्ञ मुख्यालय पंचायत में आवास रखेंगे तथा आवास को कार्यालय के तरह से प्रयुक्त करेंगे एवं सार्वजनिक रूप से सूचना के लिए एक बोर्ड लगायेंगे। उनके आवासीय कार्यालय का पता जिला कृषि पदाधिकारी, कार्यालय के बोर्ड पर प्रकाशित करेंगे। विषय वस्तु विशेषज्ञ को सामान्यतः मुख्यालय में नहीं रखा जायेगा। फिर भी अगर किसी विषय वस्तु विशेषज्ञ की कार्यालय कार्यों में अत्यधिक अभिरूचि हो एवं जिला कृषि पदाधिकारी इसकी आवश्यकता महसूस करते हों तो विभागीय स्तर से इसकी अनुमति प्राप्त कर जिला स्तर पर जिला/उच्चत्तर स्तर पर इन्हें प्रतिनियुक्त किया जा सकता है। परंतु विषय वस्तु विशेषज्ञ की प्रतिनियुक्ति ऐसे जिला स्तरीय मिट्टी/बीज जांच प्रयोगशाला में की जा सकेगी जहाँ पर नये मिट्टी/बीज जांच प्रयोगशाला की स्थापना हुई है एवं जहाँ पद सृजित नहीं हैं। विषय वस्तु विशेषज्ञ को प्रखंड कृषि पदाधिकारी अथवा नियमित पदस्थापना का कोई प्रभार नहीं दिया जायेगा। जिला मुख्यालय स्तर पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के कन्सलटेन्ट को खाद्य सुरक्षा मिशन के अतिरिक्त दूसरे योजनाओं का काम भी दिया जा सकेगा ताकि इनका उपयोग सम्यक रूप से एवं प्रभावी तरीके से हो सके। विषय वस्तु विशेषज्ञ को पंचायत आवंटन के लिए जिला कृषि पदाधिकारी सक्षम पदाधिकारी होंगे। विषय वस्तु विशेषज्ञ कार्य दिवस में अपने मुख्यालय में सरकारी कर्मियों के लिए निर्धारित समय के अनुसार उपस्थित रहेंगे।

4. <u>दायित्व</u> :– कृषि विभाग द्वारा विभिन्न केन्द्र प्रायोजित/राज्य प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इन योजनाओं के उद्देश्य को किसानों तक पहुँचाने के लिए किसान सलाहकार/विषय वस्तु विशेषज्ञ का दायित्व निम्न प्रकार से निर्धारित किया जाता है:–

क्र०	कार्य का मद	किसान सलाहकार का दायित्व	विषय वस्तु विशेषज्ञ का दायित्व
		बीज योजना	
1	**मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना**		
क	लाभुक का चयन	• अपने पंचायत के प्रगतिशील किसानों की सूची तैयार करना, जो बीज उत्पादन के लिए इच्छुक हों, • इनमें से जिन्हें पूर्व में इस योजना में लाभुक बनाया गया है, की सूची तैयार करना, • उक्त सूचना के आधार पर विषय वस्तु विशेषज्ञ को अपने पंचायत के सभी गाँवों के लिए लक्ष्य से तीन गुणा संख्या में लाभुक के नाम की अनुशंसा विषय वस्तु विशेषज्ञ को करना। अर्थात धान के लिए किसी गाँव से दो किसान को चुना जाना है तो उस गाँव के छः किसान के नाम की अनुशंसा करना, • चुने गये किसान की सूचना किसान	• अपने क्षेत्राधिकार के पंचायत के सभी गाँवों के लिए लक्ष्य से दो गुणा संख्या में लाभुक के नाम की अनुशंसा प्रखंड कृषि पदाधिकारी को करना। • प्रखंड कृषि पदाधिकारी से चुने गये किसान की सूचना प्राप्त करना। • चुने गये किसान की सूचना किसान सलाहकार को देना।

		को देना एवं बीज उत्पादन के लिए आवश्यक तैयारी करवाना।	
ख	बीज उपलब्धता	● प्रभेद एवं मूल्य तथा बिक्री केन्द्र की सूचना किसान को देना तथा बीज का क्रय सुनिश्चित कराना, बीज की बोआई सुनिश्चित कराना।	● प्रभेद/मूल्य तथा बिक्री केन्द्र की सूचना किसान सलाहकार को देना।
ग	जैव उर्वरक किट का वितरण	● चुने गये किसान को जैव उर्वरक किट जिला से प्राप्त कर किसान तक पहुँचाना एवं इसका उपयोग सुनिश्चित करना।	● उपयोग की तकनीक सलाहकार को बताना। ● उपयोग के संबंध में किसान को प्रशिक्षित करना।
घ	मिट्टी जाँच	● सभी लाभुक किसान के बीज उत्पादन वाले खेत से मिट्टी नमूना लेना, ● स्वायल हेल्थ कार्ड को किसान तक पहुँचाना, ● स्वायल हेल्थ कार्ड के अनुसार अनुशंसित उर्वरक के उपयोग की जानकारी किसान को देना।	● मिट्टी नमूना किसान सलाहकार से प्राप्त कर प्रयोगशाला तक पहुँचाना। ● प्रयोगशाला से प्राप्त फलाफल प्रतिवेदन किसान सलाहकार तक पहुँचाना। ● किसान सलाहकार को स्वायल हेल्थ कार्ड को समझने एवं इसकी अनुशंसा के आधार पर किसान द्वारा उर्वरक उपयोग में प्रशिक्षित करना।
ङ	बीज उत्पादन कार्य का देखरेख	● जिस खेत में बीज लगाया गया हो वहाँ नियमित रूप से विजीट करना एवं सुधार के संबंध में किसान को अवगत कराना।	● जिस खेत में बीज लगाया गया हो वहाँ नियमित रूप से विजीट करना, ● बीज उत्पादन के लिए सामान्य आवश्यकताओं जैसे कि आइसोलेसन, रोगिंग सुनिश्चित करवाना।
च	उत्पादित बीज के संबंध में सूचना संग्रह करना।	● प्रत्येक खेत में एक फसल कटनी आयोजित करना/सूचना संधारित करना एवं उत्पादित बीज की सूचना विषय वस्तु विशेषज्ञ को देना।	● अपने क्षेत्राधिकार के 50 प्रतिशत फसल कटनी के समय उपस्थित रहना एवं देखरेख में फसल कटनी करवाना।
छ	पिछले वर्ष उत्पादित	● किसान से पूछ कर यह जानकारी	● अपने क्षेत्र में किसान सलाहकार से

	बीज में से इस वर्ष उपयोग में लाये गये बीज के बारे में सूचना संग्रह करना।	प्राप्त करना कि कितना बीज उन्होंने स्वयं लगाया है एवं कितना बीज उन्होंने बीज के रूप में उपयोग के लिए दूसरों को दिया है। ● उक्त सूचना विषय वस्तु विशेषज्ञ को देना।	प्राप्त सूचना का संग्रह करना एवं इसे प्रखंड कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध कराना।
2	**बीज ग्राम योजना**		
क	गाँव का चयन	● अपने पंचायत के अधीन ऐसे गाँवों को चुनना जहाँ 50 से अधिक किसान बीज उत्पादन के लिए इच्छुक हों। ● इच्छुक किसानों की सूची तैयार करना। ● गाँव एवं किसानों के संबंध में सूचना विषय वस्तु विशेषज्ञ को देना।	● किसान सलाहकार के अनुशंसा की समीक्षा करना तथा अपनी अनुशंसा प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी को भेजना।
ख	बीज उपलब्धता	● प्रभेद एवं मूल्य तथा बिक्री केन्द्र की सूचना किसान को देना तथा बीज का क्रय सुनिश्चित कराना। ● बीज की बोआई सुनिश्चित कराना।	● प्रभेद/मूल्य तथा बिक्री केन्द्र की सूचना किसान सलाहकार को देना।
ग	जैव उर्वरक किट का वितरण	● मुख्यमंत्री बीज विस्तार योजना के सदृश	● मुख्यमंत्री बीज विस्तार योजना के सदृश
घ	मिट्टी जाँच	● मुख्यमंत्री बीज विस्तार योजना के सदृश	● मुख्यमंत्री बीज विस्तार योजना के सदृश
ङ	बीज उत्पादन कार्य का देखरेख	● मुख्यमंत्री बीज विस्तार योजना के सदृश	● मुख्यमंत्री बीज विस्तार योजना के सदृश
च	उत्पादित बीज के संबंध में सूचना संग्रह करना।	● मुख्यमंत्री बीज विस्तार योजना के सदृश	● मुख्यमंत्री बीज विस्तार योजना के सदृश
छ	पिछले वर्ष उत्पादित बीज में से इस वर्ष उपयोग में लाये गये बीज के बारे में	● मुख्यमंत्री बीज विस्तार योजना के सदृश	● मुख्यमंत्री बीज विस्तार योजना के सदृश

	सूचना संग्रह करना।		
3	**प्रक्षेत्र में बीज उत्पादन**	● अपने पंचायत के प्रक्षेत्र में बीज उत्पादन कार्य को किसानों को दिखाना।	● अपने क्षेत्राधिकार के पंचायत में अवस्थित प्रक्षेत्र के प्रक्षेत्र सहायक से यथा समय बोआई, सिंचाई आदि क्रिया संपादित कराना। ● प्रक्षेत्र में फसल स्थिति की सूचना अनुमंडल कृषि पदाधिकारी को देना। ● प्रक्षेत्र में फसल कटनी के समय उपस्थित रहना तथा कटनी को संपादित कराना।
4	**अनुदानित दर पर प्रमाणित बीज उपलब्ध कराना।**	● अनुदानित दर पर उपलब्ध प्रभेद तथा अनुदान दर की सूचना प्राप्त करना एवं इसे किसानों में प्रचारित करना। ● अनुदानित दर पर बिक्री के लिए चिन्हित किये गये प्रतिष्ठान की जानकारी प्राप्त कर किसानों की इसकी सूचना देना।	अनुदानित दर पर उपलब्ध प्रभेद तथा अनुदान दर की सूचना प्राप्त करना एवं इसे किसानों एवं किसान सलाहकार में प्रचारित करना। ● अनुदानित दर पर बिक्री के लिए चिन्हित किये गये प्रतिष्ठान की जानकारी प्राप्त कर किसानों/किसान सलाहकारों की इसकी सूचना देना।
5	**मिनी किट बीज वितरण**	● किसानों की सूची तैयार करना एवं इसे विषय वस्तु विशेषज्ञ को उपलब्ध कराना। ● किसानों के बीच मिनी किट का वितरण करना।	किसानों की सूची प्रखंड कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध कराना। ● मिनी किट बीज की बोआई सुनिश्चित कराना। ● मिनी किट वाले खेत में फसल कटनी कराना एवं फलाफल प्रखंड कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध कराना।
6	**सीड बीन**	● सीड बीन की उपलब्धता/मूल्य/प्रतिष्ठान की जानकारी किसानों को देना।	● सीड बीन के लक्ष्य को शत–प्रतिशत प्राप्त करना।

पौधा रोपन सामग्री

7	**मुख्यमंत्री तीव्र बागवानी विकास योजना**	● बागवानी फसलों/फलों के प्रभेदों की उपलब्धता तथा बिक्री दर की सूचना किसानों को देना।	● बागवानी फसलों/फलों के प्रभेदों की उपलब्धता तथा बिक्री दर की सूचना किसान सलाहकार तथा किसानों को देना।
	मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (मिट्टी जाँच एवं उर्वरक संबंधी कार्य)		
1.	**मिट्टी जाँच**	● मिट्टी जाँच के लिए नमूना लेना एवं इसे प्रयोगशाला में भेजना। ● मिट्टी जाँच का फलाफल प्रतिवेदन प्रयोगशाला से प्राप्त करना तथा इसे किसानों को पहुँचाना। ● मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार किसानों को उर्वरक व्यवहार के लिए प्रेरित करना।	● मिट्टी जाँच नमूना लेने की तकनीक सलाहकार तथा किसान को बताना। ● नमूना प्रयोगशाला तक समुचित तरीके से पहुँचाने का प्रबंध कराना। ● स्वायल हेल्थ कार्ड के अनुसार उर्वरक व्यवहार के लिए किसानों/किसान सलाहकारों को प्रशिक्षण देना।
2.	**वर्मी कम्पोष्ट**	● किसानों को आवेदन पत्र उपलब्ध कराना एवं इसे भरने में मदद करना। ● अनुदानित दर पर उपलब्ध वर्मी कम्पोष्ट के लिए चिन्हित प्रतिष्ठान की जानकारी किसानों को देना। ● ● ●	● किसानो से आवेदन पत्र प्राप्त करना/जाँच करना तथा आवेदन पत्र एवं जाँच पत्र जिला कृषि ● पदाधिकारी को उपलब्ध कराना। जिला से स्वीकृति पत्र प्राप्त कर किसान को उपलब्ध कराना। ● देखरेख में वर्मी कम्पोष्ट इकाई को बनवाना एवं वर्मी कम्पोष्ट बनवाने में तकनीकी मदद करना। ● वर्म की उचित प्रजाति उपलब्ध कराना। ● अनुदानित दर पर उपलब्ध वर्मी कम्पोष्ट के लिए चिन्हित प्रतिष्ठान की जानकारी किसान सलाहकार तथा किसानों को देना। ● किसानों को यथा समय अनुदान भुगतान सुनिश्चित कराना।

3.	**जैव उर्वरक**	● बीज योजना में यथा वर्णित	● बीज योजना में यथा वर्णित ● अनुदानित दर पर उपलब्ध जैव उर्वरक के लिए प्रतिष्ठान/दर के संबंध में सूचना किसानों/किसान सलाहकारों को देना।
4.	**सूक्ष्म पोषक तत्व**	● अनुदानित दर पर उपलब्ध सूक्ष्म पोषक तत्व के लिए प्रतिष्ठान/दर के संबंध में सूचना किसानों को देना।	● सूक्ष्म पोषक तत्व के उपयोग के महत्व को किसानों को समझाना। ● अपने क्षेत्र के मिट्टी के उर्वरा शक्ति के बारे में सूचना प्राप्त करना एवं इसके हिसाब से इसके संबंध में किसान सलाहकार को सूचना उपलब्ध कराना। ● अनुदानित दर पर उपलब्ध सूक्ष्म पोषक तत्व के लिए प्रतिष्ठान/दर के संबंध में सूचना किसानों/किसान सलाहकारों को देना।
5	**जिप्सम पायराईट का व्यवहार**	● अपने पंचायत के मिट्टी का पी.एच मान ज्ञात करना। ● उसर हो गयी भूमि का विवरण तैयार करना तथा इसकी सूचना विषय वस्तु विशेषज्ञ को देना।	● जिप्सम पायराईट की उपलब्धता की जानकारी किसानों एवं किसान सलाहकारों को देना। ● जिप्सम पायराईट के उपयोग की विधि किसानों को बताना एवं अपने समक्ष सुनिश्चित कराना।
	● कृषि यांत्रिकरण (ड्रीप एवं स्प्रींक्लर सहित)		
1	**कृषि यांत्रिकरण**	● विभिन्न प्रकार के आधुनिक कृषि यंत्र के संबंध में जानकारी प्राप्त करना एवं इसकी सूची अपने परामर्श स्थल पर रखना। ● किसानों को कृषि यंत्रों की उपलब्धता/मूल्य/प्रतिष्ठान/किसान मेला की तिथि के बारे में जानकारी देना।	● किसानो से आवेदन पत्र प्राप्त करना/जाँच करना तथा आवेदन पत्र एवं जाँच पत्र जिला कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध कराना। ● जिला से स्वीकृति पत्र प्राप्त कर किसान को उपलब्ध कराना। ● किसान मेला में प्रतिनियुक्ति के अनुसार क्रय विक्रय का सत्यापन करना।

			● जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा यथा प्राधिकृत भौतिक सत्यापन करना। ● विभिन्न प्रकार के आधुनिक कृषि यंत्र के संबंध में जानकारी प्राप्त करना एवं इसकी सूची किसान सलाहकार को उपलब्ध कराना। ● किसानों एवं किसान सलाहकारों को कृषि यंत्रों की उपलब्धता/मूल्य/प्रतिष्ठान/ किसान मेला की तिथि के बारे में जानकारी देना।
2	**कृषि तकनीक का प्रचार प्रसार**		
क	**किसान पाठशाला**	● संचालक के रूप में कार्य करना। ● प्रत्यक्षण के लिए प्रगतिशील किसान को चुनना एवं प्रत्यक्षण लगाना। ● किसानों को अपने (किसान सलाहकार) खेत में की गई उन्नत तकनीक के उपयोग को दिखाना। ● किसान पाठशाला का संचालन सार्वजनिक यथा समुदाय भवन/पंचायत भवन/ग्रामीण विद्यालय में चलाना। ● किसानों को प्रत्यक्षण स्थल तक ले जाना।	● किसान पाठशाला के आयोजन में किसान सलाहकार को मदद करना। ● विशेषज्ञ के रूप में प्रशिक्षण प्रदान करना। ● किसान सलाहकार के खेत तथा प्रगतिशील किसान के खेत में लगाये गये प्रत्यक्षण को देखना एवं इसके वैज्ञानिक बातों को किसानों को बताना। ● किसान सलाहकार स्वयं वैज्ञानिक विधि से खेती नहीं किये हों तो इसे उजागर करना एवं इसकी सूचना जिला कृषि पदाधिकारी को देना।
ख	**प्रत्यक्षण**	● प्रत्यक्षण के लिए प्रगतिशील किसानों की सूची तैयार करना एवं इसे विषय वस्तु विशेषज्ञ को उपलब्ध कराना। ● प्रत्यक्षण के लिए उपादान उपलब्ध कराना।	● अपने पंचायत में प्रत्यक्षण के लिए विषय, जैसे कि समेकित उर्वरक व्यवहार, समेकित किट प्रबंधन, संकर प्रभेद का व्यवहार, जैविक खाद्य का व्यवहार, सूक्ष्म पोषक तत्व का व्यवहार, फसल चक्र, समय से बोआई, आधुनिक कृषि यंत्र का उपयोग इत्यादि विषय को चुनना

		● प्रत्यक्षण को लगाना ● प्रत्यक्षण स्थल पर नियमित रूप से जाना एवं फसल स्थिति की जानकारी रखना ● प्रत्यक्षण का फसल जाँच कटनी करना एवं फलाफल की जानकारी जिला कृषि पदाधिकारी को देना।	एवं इसके हिसाब से किसान सलाहकार को उपयुक्त किसानों की सूची तैयार करने हेतु प्रशिक्षित करना। ● प्रत्यक्षण स्थल पर बार–बार विजिट करना एवं उपयुक्त वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध कराना।
ग	**किसान प्रशिक्षण**	● किसान प्रशिक्षण के लिए किसानों की सूची बनाना एवं उन्हें प्रशिक्षण स्थल तक लाना।	● प्रशिक्षक की भूमिका।
घ	**किसान भ्रमण**	● किसानों की सूची तैयार करना। ● भ्रमण में किसानों के साथ रहना।	● किसान भ्रमण आयोजित कराना।
ङ	**किसान हित समूह का गठन**	● फसल के आधार पर किसान हित समूह बनाना। ● समूह की नियमित रूप से बैठक कराना एवं कार्यवाही तैयार करवाना। ● किसान हित समूह को आत्मा के साथ निबंधित करना।	● किसान हित समूह का प्रशिक्षण। ● किसान हित समूह को बैंक से जोड़ना।
च	**किसान मेला**	● मेला के बारे में किसान को जानकारी देना। ● मेला में किसान की भागीदारी सुनिश्चित कराना।	● किसान मेला में किसान सलाहकार एवं किसानों की भागीदारी सुनिशचित कराना। ● विशेषज्ञ के रूप में प्रशिक्षण देना।
		इन्टीग्रेटेड फार्मिग	
	इन्टीग्रेटेड फार्मिग	● किसानों को प्रदर्शन स्थल पर ले जाना	● किसानो को एवं किसान सलाहकारों को इन्टीग्रेटेड फार्मिंग विधियों की प्रशिक्षण देना।
		कृषि सांख्यिकी का संग्रहण	
	कृषि सांख्यिकी का संग्रहण	● अपने पंचायत के सभी गांवो के ग्रामवार प्रगतिशील किसानों की सूची बनाना।	● अपने के क्षेत्राधिकार के सभी गाँवों में लगाये जाने वाले फसल के संबंध में ग्रामवार सूचना सलाहकार की मदद

		● ग्रामवार कुल जमीन का रकवा एवं मौसमवार विभिन्न फसलों का आच्छादन की सूचना संग्रह करना। ● ग्रामवार पशु की अनुमानित संख्या का संग्रह करना। ● ग्रामवार ट्रैक्टर पावर टीलर, कम्बाईन हार्वेस्टर, थ्रेसर, जीरो टीलेज मशीन, लेजर लेवलर, पैडी ट्रांस्पलांटर, डीबलर, बीडर, मार्कर, रीपर, धान कुटने की मशीन, दाल मशीन की संख्या का संग्रहण प्रत्येक वर्ष में एक बार करना। ● ग्रामवार वर्मी कम्पोष्ट इकाई की संख्या एवं उत्पादित वर्मी कम्पोष्ट की मात्रा का विवरण तैयार करना। ● कृषि गणना के लिए इस मार्ग निर्देश के साथ संलग्न परिशिष्ट का उपयोग किया जा सकेगा। इस परिशिष्ट को स्थानीय आवश्यकता के अनुसार परिवर्द्धित किया जा सकेगा। ये आंकड़े प्रत्येक वर्ष खरीफ एवं रबी तथा गरमा मौसम में अलग–अलग संकलित किये जायेंगे। ● प्रत्येक फसल के लिए ग्रामवार कम से कम 5 फसल कटनी आयोजित करना एवं फलाफल जिला कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध कराना।	से संग्रहित करना। ● किसान सलाहकार के द्वारा संग्रह की जानेवाली सूचनाओं का संग्रह सुनिश्चित कराना एवं जानकारी जिला कृषि पदाधिकारी को देना। ● कीट व्याधि की स्थिति की जानकारी प्राप्त करना एवं सूचना जिला कृषि पदाधिकारी को देना। ● ग्रामवार फसलों के प्रचलित प्रभेद के बारे में जानकारी प्राप्त करना। ● ग्रामवार उर्वरक बीज एवं कीटनाशी बिक्री केन्द्रों की सूची तैयार करना तथा बिक्री किये गये बीज की सूचना प्राप्त करना। ● कृषि गणना कार्य में किसान सलाहकार को सहयोग एवं मार्गदर्शन करेंगे तथा समय सीमा में इसे सुनिश्चित करेंगे।
	किसान क्रेडिट कार्ड	● किसानों में प्रचार प्रसार ● आवेदन भरवाना	● प्रचार प्रसार ● बैंक के साथ जोड़ना ● प्रखंड से समन्वय कर एल.पी.सी. दिलाना

	बिहार भू–जल सिंचाई परियोजना	● किसानों में प्रचार प्रसार ● आवेदन भरवाना	● प्रचार प्रसार ● बैंक के साथ जोड़ना ● प्रखंड से समन्वय कर एल.पी.सी. दिलाना
डायरी का संधारण			
		● प्रत्येक दिन सम्पर्क किये गये किसानों के नाम पता एवं उन्हें दी गयी परामर्श की सूचना डायरी में दर्ज करेंगे। ● प्रत्येक दिन कम से कम 5 किसान को परामर्श देंगे। ● परामर्श दिये गये किसान से डायरी पर हस्ताक्षर कराना।	● प्रत्येक दिन सम्पर्क किये गये किसान सलाहकार एवं किसान की सूचना डायरी में दर्ज करेंगे एवं उन्हें दिये गये परामर्श को अंकित करेंगे। ● प्रत्येक दिन कम से कम एक सलाहकार एवं 10 किसान को परामर्श देंगे। ● जिन किसानों अथवा किसान सलाहकारों को परामर्श देंगे, उनका हस्ताक्षर डायरी में प्राप्त करेंगे।
पर्यवेक्षण			
			● किसान सलाहकार के पंचायत में उपस्थिति एवं निर्धारित समय पर परामर्श हेतु उपलब्धता सुनिश्चित करना।

5. **प्रखंड एवं न्यून स्तर पर कार्यरत कर्मी से समन्वय** :– पंचायत स्तर पर कृषि कार्यों के लिए जनसेवक कार्यरत हैं। प्रखंड स्तर पर उद्यान पर्यवेक्षक तथा उद्यान परामर्शी कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार पौधा सरंक्षण के कर्मी भी पंचायत एवं प्रखंड स्तर पर कार्यरत हैं। इन कर्मियों के बीच आपसी समन्वय का दायित्व प्रखंड कृषि पदाधिकारी का होगा। जो दायित्व किसान सलाहकार एवं विषय वस्तु विशेषज्ञ को निर्धारित किये गये हैं, उन कार्यों को संपादित करने में विभाग के दूसरे स्तर के कर्मी आवश्यक सहयोग एवं मार्गदर्शन करेंगे। जहाँ भी उद्यान परामर्शी कार्यरत नही हैं वहाँ पर उद्यान संबंधी सभी कार्य विषय वस्तु विशेषज्ञ के द्वारा किये जायेंगे।

   जहाँ भी किसान सलाहकार कार्यरत नहीं होंगे, वहाँ किसान सलाहकार को निर्धारित दायित्व भी विषय वस्तु विशेषज्ञ के द्वारा ही निष्पादित किये जायेंगे।

6. **मानदेय का भुगतान** :– किसान सलाहकार को मानदेय का भुगतान उनके बैंक खाते में किया जायेगा। सामान्यतः जिला मुख्यालय के किसी भी बैंक में किसान सलाहकार का खाता खोला जायेगा एवं इस खाते में मानदेय की राशि अंतरित कर दी जायेगी। विषय वस्तु विशेषज्ञ का भी बैंक खाता खोला जायेगा एवं सभी विषय वस्तु विशेषज्ञ, जो मानदेय भुगतान की अर्हता रखते होंगे, को एक साथ एक ही चेक से मानदेय एवं ऑपरेशनल व्यय उनके बैंक खाते में अंतरित किया जायेगा। ऑपरेशनल व्यय के लिए किसी प्रकार के अभिश्रव की आवश्यकता नहीं होगी। किसान सलाहकार एवं विषय वस्तु विशेषज्ञ को मानदेय का भुगतान प्रखंड कृषि पदाधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराये गये अनुपस्थिति

प्रतिवेदन के आधार पर किया जायेगा। यदि किसी माह के 5 तारीख तक अनुपस्थिति प्रतिवेदन नहीं भेजा जाता है तो इसका स्पष्टीकरण प्रखंड कृषि पदाधिकारी से प्राप्त किया जायेगा एवं उन्हें उनके स्वयं के अनुपस्थिति प्रतिवेदन के आधार पर मानदेय का भुगतान कर दिया जायेगा। दोषी प्रखंड कृषि पदाधिकारी के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी। विषय वस्तु विशेषज्ञ एवं किसान सलाहकार की मानदेय का भुगतान प्रत्येक माह के 10 तारीख तक निश्चित रूप से किया जायेगा। अगर विषय वस्तु विशेषज्ञ अथवा किसान सलाहकार अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहेंगे तो अनुपस्थित अवधि का मानदेय उन्हें भुगतान नहीं किया जायेगा।

7. **अवकाश** :— यद्यपि कि किसान सलाहकार एवं विषय वस्तु विशेषज्ञ सरकारी सेवक नहीं हैं फिर भी इन्हें मात्र आकस्मिक अवकाश प्रतिवर्ष 16 दिन अनुमान्य किया जा सकेगा। किसान सलाहकार को कर्त्तव्य से अनुपस्थिति विषय वस्तु विशेषज्ञ अनुमान्य कर सकेंगे। विषय वस्तु विशेषज्ञ को आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति संबंधित प्रखंड कृषि पदाधिकारी दे सकेंगे। वरीय पदाधिकारियों के द्वारा बुलाये गये बैठक में भाग लेने की स्थिति में उन्हें कर्त्तव्य पर माना जायेगा।

8. **बैठक** :— किसान सलाहकार एवं विषय वस्तु विशेषज्ञ अपने क्षेत्राधिकार के पंचायत के आम सभा में निश्चित रूप से भाग लेंगे। इस आम सभा में कृषि विभाग द्वारा चलायी जा रही योजनाओं की जानकारी जनप्रतिनिधियों को दी जायेगी। प्रखंड स्तर पर प्रत्येक सप्ताह के शनिवार को 11.00 बजे से प्रखंड कृषि पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की जायेगी। इस बैठक में विषय वस्तु विशेषज्ञ एवं किसान सलाहकार भाग लेंगे। यह बैठक प्रखंड मुख्यालय में होगी। इस बैठक में तत्समय विभाग के प्रमुख योजनाओं के संबंध में प्रगति की सूचना प्राप्त की जायेगी एवं नयी योजनाओं के संबंध में जानकारी दी जायेगी। प्रखंड स्तरीय बैठक में अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी/परियोजना निदेशक, आत्मा/कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी/जिला उद्यान पदाधिकारी/मिट्टी जांच प्रयोगशाला के प्रभारी पदाधिकारी/बीज जांच प्रयोगशाला के पदाधिकारी एक रोस्टर के अनुसार बैठक में भाग लेंगे। यह रोस्टर जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा बनाया जायेगा। यह रोस्टर इस प्रकार से निर्धारित किया जायेगा कि कोई न कोई वरीय पदाधिकारी प्रखंड स्तरीय बैठक में निश्चित रूप से भाग लें। जिलास्तर पर प्रत्येक माह के द्वितीय बुधवार को जिला कृषि पदाधिकारी की अध्यक्षता में समन्वय बैठक आयोजित की जायेगी। इस बैठक में केवल विषय वस्तु विशेषज्ञ भाग लेंगे। इन्हें इसी दिन मानदेय का भुगतान किया जायेगा ताकि उन्हें अनावश्यक मुख्यालय में नहीं आना पड़े।

9. **अनुश्रवण एवं मूल्यांकन** :— प्रत्येक प्रखंड कृषि पदाधिकारी प्रत्येक सप्ताह में किसान सलाहकार/विषय वस्तु विशेषज्ञ के डायरी का निरीक्षण करेंगे एवं अपना मंतव्य अंकित करेंगे। अनुमंडल कृषि पदाधिकारी एवं जिला कृषि पदाधिकारी अपने क्षेत्र भ्रमण में निश्चित रूप से इस डायरी का अवलोकन करेंगे एवं अपना मंतव्य अंकित करेंगे।

प्रत्येक वर्ष के अंत में डायरी जिला कृषि कार्यालय में जमा किया जायेगा। डायरी की प्रत्येक प्रविष्टि जैसे कि सम्पर्क किये गये किसान/दिये गये परामर्श/निरीक्षण का विवरण/विभिन्न पदाधिकारियों का मंतव्य कम्प्युटराईज कर दिया जायेगा एवं इसकी सॉफ्ट प्रति कृषि निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा किसान सलाहकार एवं विषय वस्तु विशेषज्ञ के तकनीकी जानकारी/कार्य कुशलता/चुस्ती/योजनाओं के लक्ष्य की प्राप्ति/अनुशासन/किसानों में लोकप्रियता के आधार पर प्रत्येक माह ए से डी तक ग्रेड दिया जायेगा। प्रखंड कृषि पदाधिकारी यह ग्रेड जिला कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध करा देंगे। दस प्रमुख योजनाओं में उपलब्धि के आधार पर 10 प्वाइंट के आधार पर ग्रेडींग किया जायेगा।

10. सामान्य अनुदेश :— विषय वस्तु विशेषज्ञ एवं किसान सलाहकार को मात्र कृषि कार्य में लगाया जायेगा। विषय वस्तु विशेषज्ञ अथवा किसान सलाहकार सरकारी कर्मी नहीं हैं। इन्हें किसी योजना का अभिकर्त्ता नहीं बनाया जा सकता है।

11. नियोजन/चयन का निरस्तीकरण :— विषय वस्तु विशेषज्ञ एवं किसान सलाहकार के चयन को जिला पदाधिकारी द्वारा किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। ऐसे किसी भी प्रस्ताव को जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा जिला पदाधिकारी की सहमति के लिए सभी साक्ष्य सहित उपस्थापित किया जायेगा। जिला पदाधिकारी की सहमति के उपरांत निर्गत सभी निरस्तीकरण संबंधित आदेश अंतिम आदेश होंगे।

(क) किसान सलाहकार का चयन निम्न कारणों से समाप्त किया जा सकता है:—

- यदि यह प्रमाणित हो जाय कि किसान सलाहकार एक पूर्णकालिक किसान नहीं या कृषि के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य करते हैं या उन्होंने कृषि कार्य करना छोड़ दिया है।
- यदि वे लगातार तीन महीनों तक डी ग्रेड प्राप्त किये हैं।
- उनके द्वारा आवेदन पत्र में दिया गया सूचना असत्य प्रमाणित हो।
- यदि वह अनुशासनहीन हों एवं इस संबंध में विषय वस्तु विशेषज्ञ अथवा प्रखंड कृषि पदाधिकारी अथवा अनुमंडल कृषि पदाधिकारी अथवा जिला कृषि पदाधिकारी अथव संयुक्त कृषि निदेशक के द्वारा इसकी जांच द्वारा पुष्टि हो जाय। जिस स्तर के पदाधिकारी अनुशासनहीनता का आरोप लगायेंगे उसके एक स्तर उपर के अधिकारी जांच करेंगे।
- यदि वे सार्वजनिक हित को जानबूझ कर क्षति पहुँचाते हों।
- यदि वे बिना अनुमति के कर्त्तव्य से लगातार 15 दिन तक अनुपस्थित हों।
- प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा नहीं किया है।
- कृषि को छोड़कर कोई अन्य कार्य यथा अभिकर्त्ता, दूकान आदि का कार्य करते हों।

(ख) विषय वस्तु विशेषज्ञ का चयन निम्न कारणों से समाप्त किया जा सकता है:—

- यदि वे लगातार तीन महीनों तक डी ग्रेड प्राप्त किये हैं।
- उनके द्वारा आवेदन पत्र में दिया गया सूचना असत्य प्रमाणित हो।
- यदि वह अनुशासनहीन हों एवं इस संबंध में प्रखंड कृषि पदाधिकारी अथवा अनुमंडल कृषि पदाधिकारी अथवा जिला कृषि पदाधिकारी अथव संयुक्त कृषि निदेशक के द्वारा इसकी जांच द्वारा पुष्टि हो जाय। जिस स्तर के पदाधिकारी अनुशासनहीनता का आरोप लगायेंगे उसके एक स्तर उपर के अधिकारी जांच करेंगे।
- यदि वे सार्वजनिक हित को जानबूझ कर क्षति पहुँचाते हों।

- प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा नहीं किया है।
- किसी योजना के अभिकर्त्ता बनाये गये हों।
- यदि वे बिना अनुमति के कर्त्तव्य से लगातार 15 दिन तक अनुपस्थित हों।

12. **अन्यान्य** :— उक्त कंडिकाओं में वर्णित विषयों के अतिरिक्त कोई ऐसे विषय जो जिला में कृषि विकास के लिए नितान्त आवश्यक हो एवं जिस पर तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता हो, जिला कृषि पदाधिकारी ऐसे कार्य विषय वस्तु विशेषज्ञ एवं किसान सलाहकार को दे सकेंगे। इसकी सम्पुष्टि प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक से प्राप्त की जायेगी।

13. **मार्ग निर्देश में संशोधन** :— उपर्युक्त में किसी प्रावधान के बावजूद कृषि विभाग द्वारा यथा आवश्यक निर्णय लिया जा सकता है एवं मार्ग निर्देश में संशोधन किया जा सकता है।

कृषि गणना का सर्वेक्षण संबंधी प्रपत्र

1. ग्राम पंचायत का नाम ....कृषि गणना की अवधि -

2. प्रखण्ड का नाम ....जिला का नाम.......................

3. कृषि गणना होने वाले का विवरण :-

क०सं०	ग्राम का नाम	कोड संख्या	क०सं०	ग्राम का नाम	कोड संख्या
1			6		
2			7		
3			8		
4			9		
5			10		

कृषि गणना का पूर्ण विवरण

क्र सं.	कृषि गणना का विषय	ग्रामवार आंकडों की संख्या मात्र.										
		कोड सं. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	*कुल*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल (हे० में)											
2.	खेती योग्य कुल भूमि (हे० में)											
3	खरीफ मौसम में खेती का रकबा (हे०में)											
	1. धान											
	2. मक्का (अधिक उपजशील)											
	3. मक्का (हाईब्रीड)											
	4. अरहर											
	5. सूर्यमुखी											
	6. मूँग											
	7. उरद											
	8. सब्जी											
	9. अन्य दलहन											
	10. मूँगफली											
	11. तिल											
	12. अन्य तेलहन											
	13. अन्य फसल											
	14. फूल की खेती											
	कुल											

4	रब्बी मौसम में खेती का रकबा (हे०में)											
	1. गेंहूँ											
	2. जौं											
	3. मक्का											
	4. चना											
	5. मसूर											
	6. मटर											
	7. अन्य दलहन											
	8. राई सरसों-											
	9. तीसी											
	10. सूर्यमुखी											
	11. अन्य तेलहन											
	12. आलू											
	13. टमाटर											
	14. फूलगोभी											
	15. अन्य सब्जी											
	16. फूल की खेती											
	17. अन्य फसल-											
	कुल-											
5	गर्मा मौसम में खेती का रकबा (हे०में)											
	1. मक्का											
	2. मूँग											
	3. सूर्यमुखी											
	4. प्याज											
	5. अन्य सब्जी											
	6. तिल											
	अन्य											
	कुल											
6	उद्यान फसलों का रकबा (हे०)											
	1. आम											
	2. अमरूद											
	3. लीची											
	4. बड़ा नींबू (गागल)											
	5. कागजी नींबू											
	6. केला											
	7. पपीता											
	8. अन्य											
	कुल											

7	खरीफ मौसम में कुल सिंचित क्षेत्र का विवरण (हे० में)											
	(क) नहर											
	(ख) राजकीय नलकूल											
	(ग) निजी नलकूप											
	(घ) आहर पैन नदी											
	(ड़) अन्य श्रोत- तालाब आदि											
	कुल-											
	च. खरीफ में कुल असिंचित क्षेत्र (हे0में)											
8	रब्बी मौसम में कुल सिंचित क्षेत्र का विवरण (हे०में)											
	(क) नहर											
	(ख) राजकीय नलकूप											
	(ग) निजी नलकूप											
	(घ) आहर पैन											
	(ड़) अन्य श्रोत- तालाब आदि											
	कुल-											
	(च) रब्बी में कुल असिंचित क्षेत्र (हे0में)											
9	गर्मा में सिंचाई क्षेत्र (हे०में)											
	1.सिंचित क्षेत्र											
	2.असिंचित क्षेत्र											
	कुल											
10	राजकीय नलकूपों का विवरण											
	कार्यरत-											
	अकार्यरत-											
	कुलः-											
11	निजी नलकूपों की संख्या											
12	मिट्टी का प्रकार (बलुआही/दोमट/केवाल/बलुआही दोमट/दोमट केवाल											
13	कुल कृषि यंत्रों का विवरण											
	1. कम्बाइंड हार्वेस्टर											
	2. टैक्टर											
	3. पावर टिलर											
	4. पावर थ्रेसर											
	5. पम्प सेट											
	6. रोटावेटर											
	7. जीरो टीलेज											
	8. सीड कम फर्टिलाइजर ड्रील											
	9. मिनी राइस मिल											
	10. मिनी दाल मिल											

	11. डस्टर											
	12. स्प्रेयर											
	13. चाराकल											
	14. स्प्रींकलर											
	15. ड्रीप											
	16. धातु कोठिला											
	कुल											
14	कृषक परिवारों की संख्या											
	सीमांत (1 हे0)											
	लघु (1-2 हे0)											
	मध्यम (2-10 हे0)											
	बड़ा (10 हे0)											
	कुल											
15.	कृषक मजदूरों की संख्या											
16.	कुल दियारा क्षेत्र (हे0 में)											
17.	कुल टाल क्षेत्र (हे0 में)											
18.	कुल चौर क्षेत्र (हे0 में)											
19.	खरीफ मौसम में उर्वरक की खपत (क्विंटल में)											
	यूरिया -											
	डी0ए0पी0/एम0ए0पी0											
	एस0एस0पी0											
	एम0ओ0पी0											
	12 : 32 : 16 मिक्सचर											
	जैव उर्वरक											
	जिंक											
	बोरॉन											
	फॉस्फो/जिप्सम											
	अन्य											
	कुल											
20.	रब्बी मौसम में उर्वरक की खपत (क्विंटल में)											
	1. यूरिया											
	2. डी0ए0पी0/एम0ए0पी0											
	एस0एस0पी0											
	एम0ओ0पी0											
	12 : 32 : 16 मिक्सचर											
	जैव उर्वरक											
	जिंक											
	बोरॉन											
	फॉस्फो/जिप्सम											

	अन्य											
	कुल											
21.	गर्मा मौसम में उर्वरक की खपत (क्विंटल में)											
	1. यूरिया											
	2. डी0ए0पी0/एम0ए0पी0											
	एस0एस0पी0											
	एम0ओ0पी0											
	12 : 32 : 16 मिक्सचर											
	जैव उर्वरक											
	जिंक											
	बोरॉन											
	फॉस्फो/जिप्सम											
	अन्य											
	कुल											
22.	खरीफ मौसम में कीटनाशी की खपत (क्विंटल में)											
	कीटनाशी-											
	फफूँदनाशी-											
	बायो कीटनाशी-											
	ग्रोथ रेगूलेटर्स											
	अन्य											
	कुल											
23.	रब्बी मौसम में कीटनाशी की खपत (कि0ग्रा0/लीटर में)											
	कीटनाशी-											
	बायो कीटनाशी-											
	फफूँदनाशी-											
	ग्रोथ रेगूलेटर्स											
	अन्य											
	कुल											
24.	फसलों की उत्पादकता (क्विंटल/हे0)											
	1. अधिक उपजशील धान											
	2. हाईब्रीड धान											
	3. गेहूँ											
	4. खरीफ मक्का											
	5. रब्बी मक्का											
	6. गर्मा मक्का											
	7. चना											
	8. मसूर											

	9. मटर											
	10. अरहर											
	11. उरद											
	12. खरीफ मूँग											
	13. गर्मा मूँग											
	14. खरीफ तिल											
	15. गर्मा तिल											
	16. सूर्यमुखी											
	17. राई/सरसो											
	18. तोड़ी											
	19. आलू											
	20. प्याज											
	21. फूलगोभी											
	22. बंधा गोभी											
	23. मटर छीमी											
	24. मिर्चा											
	25. आम											
	26. अमरुद											
	27. नींबू											
	28. केला											
	29. पपीता											
	30. भिंडी											
	31. बैगन											
	32. तीसी											
	33. सूर्यमुखी											
24. (क)	मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड की संख्या											
25.	बीज प्रतिस्थापन दर (प्रतिशत)											
	धान-											
	गेहूँ-											
	खरीफ मक्का-											
	गर्मा मक्का-											
	चना-											
	मसूर-											
	मटर-											
	अरहर-											
	गर्मा मूँग-											
	खरीफ मूँग-											
	खरीफ तिल-											
	गर्मा तिल-											
26.	वर्ष में बोया गया क्षेत्र (हे0 में)											
	(क) एक बार बोया गया क्षेत्र											

	(ख) दो बार बोया गया क्षेत्र											
	(ग) तीन बार बोया गया क्षेत्र											
	कुल											
27.	जैविक उर्वरक का प्रयोग (हे0में)											
	वर्मी कम्पोस्ट											
	ग्रीन मैन्योरिंग											
	बायो फर्टिलाइजर्स											
28.	कुल वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन इकाई की संख्या											
29.	खरीफ मौसम में उर्वरक की खपत (किलोग्राम/हे0 में)											
	यूरिया-											
	डी0ए0पी0/एम0ए0पी0											
	एस0एस0पी0											
	एम0ओ0पी0											
	12 : 32 : 16 मिक्सचर											
	जैव उर्वरक											
	जिंक											
	बोरॉन											
	फॉस्फो/जिप्सम											
	अन्य											
	कुल											
30.	रब्बी मौसम में उर्वरक की खपत (किलाग्रोम/हे0 में)											
	1. यूरिया											
	2. डी0ए0पी0/एम0ए0पी0											
	एस0एस0पी0											
	एम0ओ0पी0											
	12 : 32 : 16 मिक्सचर											
	जैव उर्वरक											
	जिंक											
	बोरॉन											
	फॉस्फो/जिप्सम											
	अन्य											
	कुल											
31.	गर्मा मौसम में उर्वरक की खपत (किलोग्राम/हे0 में)											
	1. यूरिया											
	2. डी0ए0पी0/एम0ए0पी0											
	एस0एस0पी0											
	एम0ओ0पी0											

12: 32 : 16 मिक्सचर											
जैव उर्वरक											
जिंक											
बोरॉन											
फॉस्फो/जिप्सम											
अन्य											
कुल											

कृषि गणना करने वाले क्षेत्रीय पदाधिकारी/कर्मचारी का नाम, पदनाम एवं हस्ताक्षर

क्र0सं0	क्षेत्रीय पदाधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1			
2			

आलेख : श्री अनिल कुमार झा, कृषि विशेषज्ञ, पी0पी0एम0 कृषि विभाग बिहार पटना मो. 431818719
प्रकाशन : ए.सी. जैन, उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना
फोन : 0612-2928402, मोबाईल : 9431818718
ई–मेल : infoagri-bih@nic.in/ infoagri.bihar@gmail.com
वेबसाईट : www.krishi.bih.nic.in